न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 87 / 2015

निर्णय दिनांकः 16.7.2021

ON LINE NO. 2015/00120

1. हीराराम
2. पन्नाराम

पुत्रगण किरतुराराम जाति जाट निवासीगण धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ

—वादी—

बनाम

1. भवराराम
2. नागरमल

पुत्रगण किरतुराराम जाति जाट निवासीगण धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ

3. शेराराम
4. नौजादेवी पत्नी स्व0 रामूराम
5. संतुराम
6. बृजलाल
7. परमेश्वर
8. किशनाराम
9. गणेशाराम
10. शंकरराम
11. भांगूराम

पुत्र व पुत्रिया स्व0 रामूराम जाति जाट निवासीगण धनेरू

12. महेन्द्र
13. मीरादेवी
14. गौरादेवी

पुत्रिया स्व. गौरूराम जाति जाट निवासीगण छापर तहसील सुजानगढ जिला चुरू

15. रूखमादेवी
16. लाधूदेवी पत्नी मोतीराम
17. नानूराम
18. रूपाराम
19. मोहनल

पुत्र / पुत्रिया मोतीराम जाति जाट निवासीगण छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

20. माली
21. भीखू
22. तीजा
23. तहसीलदार महोदय, राजस्व कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
24. शाखा प्रबन्धक महोदय, पी.एन.बी. शाखा रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़
25. शाखा प्रबन्धक महोदय, एस.बी.बी.जे. शाखा सांडवा तहसील बीदासर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादीगण 1 ता 22 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद हीराराम ने जरियें अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के दावा को समझने बाबत वादीगण के परिवार वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है:–

वंश वृक्ष
स्व. रताराम

अखाराम (लाऔलाद फौत) सुखाराम

किरतुराराम

रामूराम (फौत) हीराराम पन्नाराम शैराराम भंवराराम नागरमल

नौजादेवी (पत्नी) संतुराम (पुत्र) बृजलाल (पुत्र) परमेश्वर (पुत्र) किशनराम (पुत्र) गणेशाराम (पुत्र) शंकरराम (पुत्र) भागूराम (पुत्र) महेन्द्र (पुत्र) मीरा (पुत्री)

यह कि वादीगण दिनांक 10.09.2015 को अपने परिवार के सदस्यों को लेकर हल्का पटवारी के पास खाता लेने बाबत आये और खाता लिया तो पता चला कि मोतीराम व गौराराम के वारिसान का नाम अभी भी हमारे कब्जा काश्त के खेत की जमाबंदी में अकित है। जबकि उनका हमारे कब्जा काश्त के खेत से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने दिनांक 10.09.2015 को पुराने रिकार्ड बाबत उक्त खेत खसरा न. 556 तादादी 13.06 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू का प्रामाणित रिकार्ड लेने बाबत तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ मे आवेदन किया तो हमे पता चला कि स्टलमेन्ट की भूल के कारण जैसा मोती का नाम स्टलमेन्ट के दौरान सम्वत 2012 के बाद पुराने खेत खसरा नम्बर 469 तादादी 51 बीघा 17 बिस्वा में 1/2 हिस्सा दर्ज है व शेष 2/3 हिस्सा मेरे पिता किस्तुरा बल्द सुखा के नाम दर्ज है । जबकि जन्म से ही हमने कभी जैसा मोती को व उनके किसी वारिसानों को उक्त वादगत खेत में कभी नहीं देखा ना ही काश्त देखी।वादगत खेत खसरा न. 556 तादादी 13.06 हैक्टैयर वाकेरोही धनेरू पर वादगण का कब्जा काश्त पिता के जीवनकाल से ही जन्म से चला आ रहा है। वादीगण ने उक्त खसरा में अलग अलग दो टयूबैल बना रखे है व ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित उक्त खेत में ही रहते है। खेत खसरा न. 556 के दक्षिणी तरफ वादी संख्या 1 कब्जा व उतंरी तरफ वादी संख्या 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खेत में मात्र वादीगण ही 1/2 – 1/2 में टवूबवैल बनाकर कब्जा काश्त कर रहे है। उक्त खेत वादीगण के पिता किस्तुराम ने अपने जीवनकाल में ही जरिये मोखिक बंटवारा सौप दिया था। उस दिन से लेकर आज तक वादीगण का उक्त लिखित प्रकार से 1/2–1/2 हिस्सा पर कब्जा चला आ रहा है । लेकिन वादीगण के पिता किस्तुराम की मृत्यु के पश्चात वादीगण के भाईयों ने साठ गाठ कर अपना नाम भी उक्त राजस्व रिकार्ड में अकित करवा लिया। जबकि उनका कोई कब्जा काश्त वादगत खेत में कभी नहीं रहा है। वादीगण के दादा सुखा व दादा भाई अखा दो भाई हुये। जो कि शुरू से ही गांव धनेरू की रोही में निवास करते थे। सवंत 2010 व सम्वत 2011 की जमाबंदी में खसरा न.321 तादादी 35 बीघा 03 बिस्वा खसरा न.417 तादादी 53 बीघा 10 बिस्वा वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूगरगढ़ स्थित है। वादीगण के दादाओं का उक्त खेत खसरान पर जन्म से कब्जा काश्त चला आ रहा है।खेत खसरा न0417 तादादी 53 बिघा 10 बिस्वा जिसके बाद में आगे चलकर खसरा न0 469 बने, खेत खसरा न. 469 बने खसरा न0 469 के वर्तमान में खसरा न0 556 तादादी 13.06 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ कायम हुये। यह है कि सेटलमेन्ट के दौरान जिस समय पैमाईश हुई इस साल अकाल पडने के कारण काफी लोग अपने गांव छोड़कर अन्यत्र स्थान पर अपने धन पशुओ को लेकर निकल पडे। राजस्व कर्मचारियों के उस समय पैमाईश के दोरान मोती व जैसा पिसरान जौरा कौम जाट साकिन छापर जिला चूरू बतौर काश्तकार नाम दर्ज कर दिया उसके पश्चात मोती व जैसा का नाम निरन्तर चलाता रहा। लेकिन उक्त खेत पर मोती व जैसा पिसरान जौरा ने कभी कोई काश्त नहीं की ना ही उनका वादगत खेत पर कभी कब्जा रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने गांव मे आकर सिर्फ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

लोगों से नाम पूछकर उनके नाम जमाबंदी में अकित कर दिये। प्रतिवादी सं 14 ता 22 का नाम वर्तमान खाते में पात्र मोती जैसा के वारिशान होने के नाते बाला बाला दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादी 14 ता 22 का आज तक उक्त खेत में कभी कब्जा व काश्त नही रहा ह ना ही कभी देखा व सुना गया है। वादीगण अनपढ़ व भौले भाले प्रवृति के कृषि पेशा व्यक्ति है। वादगत खेत की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 22 के नाम से कैसे दर्ज हुई इसका वादीगण को ज्ञान नहीं है। क्योकि वादगत खेत में कभी प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 22 के पिता/दादा का कोई कब्जा काश्त नही रहा है ना ही वादीगण के पिता रो प्रतिवादीगण राख्या 14 ता 22 के परिवार का कोई वारता रहा है। वादीगण ने दिनांक 10.09.2015 को अपने खेत की राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 22 का उरागे नाम अंकित है। जबकि उनका वादगत खेत से कोई लेना देना नहीं है। यह है कि हम वादीगण ने दिनांक 16.09.2015 को प्रतिवाादी संख्या 14 ता 22 से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया और वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 रो कहा कि आपके नाम खेत खसरा न0 556 तादादी 13.05 हैक्टेयर वाकेराही धनेरू में कैसे दर्ज हो गया। आपका इरा तो कोई वादगत खेत में कब्जा काश्त व ना ही कभी आप धनेरू गांव आये हो तो प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 22 ने कहा कि हम लोगो का उक्त खेत से कोई सम्बंध नहीं है। आप लोग जब कहोगे तब हम लोग तहसील में आकर अपना नाम उक्त खेत से हटाकर आपके नाम अंकित करवा देगें। आप हमे कुछ दिनों का समय दिजिये। यह है कि दिनांक 04.10.2015 को वादीगण ने प्रतिवादीगण स014 ता 22 से पुन सम्पर्क किया तो प्रतिवादी स0 14 ता 22 ने कहा कि जमीन हमारे नाम से है हम तो इस जमीन को किसी अजनबी व्यक्ति को आने पौने दामों में बेच देगे और आप लोगो को वादगत खेत से बेदखल कर देगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादी स0 14 ता 22 के विरूद्ध वादहेतुक प्राप्त हो गया और यही दावे को हेतुक है। यह कि वादीगण नेउसी दिन प्रतिवादी स0 1 ता 13 से सम्पर्क किया और उनसे कहा कि हमें हमारे पिताजी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त खेत दे दिया था जिस पर आज क हम वादीगण का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त वादगत खेत मे हम वादीगण ने आधा आधा हिस्सा पर एक एक टयूवैल बना रखे है तथा टयूवैल के पास अलग अलग ढाणियों भी बना रखी है। आपके पिताजी ने अन्य स्थानों पर खेत दे रखे है। आप तहसील चलकर खेत खसरा न0 556 तादादी 13.06 हैक्टेयर वाकेराही धनेरू तहसील श्रीडूगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में से परित्याग कर अपना नाम हटा लेवें इस पर प्रतिवादी स01 ता 13 ने कहा कि जमीन हमारे नाम से है हम आपके नाम परित्याग नहीं करेगे ना ही अपना नाम खेत के राजस्व रिकार्ड से हटायेगे आप लोगो से जो बन पड़ता है वो कर लो। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादी स0 ता 13 के विरूद्ध वादाधिकार प्राप्त है तथा यही दावा का हेतुक है। वादीगण के दादा/पिता की खोतदारी को खेत होने से वादीगण वादाधिकार है। यह है कि प्रतिवदी स0 14 ता 22 के पूर्वजो का नाम सेटलमेन्ट की भूल की वजह से राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया है। इसके पश्चात प्रतिवादी स0 14 ता 22 का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जो कि गलती के कार्यक्रम में की गई गलती पूर्णतया गलत है व प्रतिवाादीगण के पूर्वजो का उक्त वादगत खेत में कभी कोई काब्जा काश्त नहीं रहा है तथा प्रतिवादी स014 ता 22 के पिता/पिता व स्वयं का निवास स्थान छापर तहसील सुजानगढ. जिला चुरू है। जहां वादगत स्थित वहां के वे स्थाई निवासी नहीं है। प्रतिवादी स0 14 ता 22 के पूर्वजो का नाम शुरू से ही गलत तरीके से अंकन हुआ है जो कि शुरू से ही अवैध व शुन्य है। पश्चात दर्ज हुये प्रतिवादी स0 14 ता 22 के नाम भी अवैध व शुन्य है। पश्चात दर्ज हुये प्रतिवादी स0 14 ता 22 के पूर्वजो का नाम भी गलत शुन्य व अवैध हैतो बाद दर्ज नाम शुरू से ही अवैध व शुन्य है। प्रतिवादी स0 14 ता 22 को प्रतिकुल कब्जे के अभाव में कोई खातेदारी का अधिकार नहीं है। वादीगण प्रतिवादी स0 14 ता 22 का नाम डिलीट करवाने के अधिकारी है व खातेदारी अवेध व शुन्य घोषित कावाने के अधिकारी है। यह है कि वादीगण वादगत खेत में 1/2 –1/2 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकाारी है। क्योकि उक्त वादगत खेत पर वादीगत का कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं। प्रतिकुल के कब्जे के अभाव में प्रतिवादी स0 1 ता 13 का कोई खातेदारी अधिकार नहीं है। यह है कि प्रतिवादी स. 1 ता 13 व 14 ता 22 न वादीगण को दिनांक 04.10.2015 को ऐलानिया धमकिया दी की वो खेत खसरा न 469 (वर्तमान खसरा नम्बर 556 तादादी 13.06 हैक्टेयर) वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ को हर सूरत में विकय करके ही रहेगे। वादगत खेत में से वादीगण को बेदखल करके ही रहेगे। वादीगण टयूवैल बनाकर उक्त खेत मे रिहायश व कब्जा काश्त करते है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप इस खेत को मत बेचना हम बैधर हो जायेगे। इस सम्बन्ध में वादीगण न प्रतिवादी स0 23 को भी वादगत खत के सम्बध नें प्रस्तुत होने वाले किसी भी लेख पत्र को तस्दीक नही करने बाबत निवेदन किया लेकिन ऐसा करने से साफ इन्कार हो गयै ऐसी स्थिति में वादीगण के पास प्रतिवादीगण के नाजयज व दोषपूर्ण कार्यो को रूकवाने हेतु उन्हे जरिये चिरनिषेधाज्ञा की डिकि से वर्जित कराये जाने अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है अन्यथा तो वो गलत मकसद में सफल हो जायेगें। वादीगण ने उक्त दावा घोषाणात्मक विमाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति का प्रस्तुत किया है। इसलिए राजस्थान सराकार को प्रतिवादी स0 23 के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी स0 23 के यहा कृषि भूमि क लेखे पत्रो का पजीयन होता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 23 आवश्यक पक्षकार संयोजि किया गया है। व प्रतिवादीगणों ने खेत खसरा न.556 तादादी 13.06 हैक्टेयर भूमि को एस. बी.बी.जे. शाखा साण्डवा व पी.एन.बी. शाखा रिडी को जरिये शाखा प्रबन्धक प्रतिवादी स0 24 व 25 के रूप मे पक्षकार बनाया गया हैं । उक्त दावामें प्रतिवादी स0 24 व 25 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हे। परन्तु कानूनी आपतियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी सं0 23 स्टेट

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80(2)सी.पी.सी. के तहत अलग से प्रार्थना पत्र पेशकर नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया गया है। वादगत खेत रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की रोही में स्थित है। इसलिए उक्त दावा की सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है। दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर अन्दर गियांद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दावा बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी आज्ञाप्त फरमाई जावे:–

(क) कि वादगत पुराना खेत खसरा न0469 तादादी 53 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा न0 556 तादादी 13.05 हैक्टेयर वाकरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ में से प्रतिवादी स 0 14 ता 22 का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाकर वादगत खेत की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावें व पूर्व में दर्ज खातेदारी को प्रतिकुल कब्जे के आधार पर शुरू से ही गलत अवैध , शुन्य व निष्प्रभावी घेषित की जावे व प्रतिवादी स01 ता 13 का नाम प्रतिकुल कब्जे के अभाव में राजस्व रिकार्ड में से नाम हटाया जाकर खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर खातेदारी घोषित की जावें।

(ख) कि वादगत खेत में वादीगण का कमशः 1/2–1/2 हिस्सासा निम्नलिखित प्रकार से अलग से लगान कायम करवाये जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाकर नक्श एक्स में तरमीम करवाया जावें तथा खेत खसरा न0 556 के दक्षिणी तरफ वादी स0 1 को 1/2 का खातेदार व उतरी तरफ वादी स0 2 को 1/2 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जावें।

(ग) कि प्रतिवादी स0 1ता 22 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 469 तादादी 53 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 566 तादादी 13.05 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ में वादीगण के उक्त लिखितनुसार कब्जा काश्त व उपभोग उपभोग में दखलअंदाजी न करे व ना ही कब्जा काश्त में बाधा विघन डाले।

(घ)कि दावा का समस्त खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 की तलबी जरिये अखबार साया करवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई हाजिर नही आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा PW–1 हीराराम व PW–2 पन्नाराम उपस्थित आये, जिनके द्वारा दस्तावेज प्रदर्शित करावाये गये। बयान कराये गये। शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। शपथ दिलवाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज से उपस्थित होकर जवाब पेश किया। पैरोकारराज ने अपने जवाब में अवगत करवाया कि खसरा नम्बर 556 तादादी 13.05 रोही मौजा धनेरू में वादीगण का कब्जाकशत होने बाद ही किया जाना उचित होगा। वादी हरीराम, पन्नाराम पुत्रगण किस्तुराराम जाति जाट निवासी धनेरू का कब्जा काश्त के आधार पर माननीय न्यायालय निर्णय फरमाया जाता है तो स्टेट को कोई आपति नही है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नही होने के कारण वादी वाद स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा न0 556 तादादी 13.05 हैक्टेयर वाके रोही धनेरू में वादीगण संख्या 1 व 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को 5/6 (प्रत्येक 1/6) एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 को 1/6 का ब.हि.ब. हिस्स का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । रहन यथावत रहेगा। प्राथमिक डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.7.2021 ...को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुना गया ।

उपखण्ड अधिकारी (दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ